सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 चैत्र, 1938 (श०)

संख्या 468 राँची, सोमवार,

4 अप्रैल**, 2016** (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

23 मार्च, 2016

1. उपायुक्त, लोहरदगा का पत्रांक- 100(I)/स्था., दिनांक 02 मई, 2011

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक- 4126, दिनांक- 22 जुलाई, 2011; पत्रांक- 5224, दिनांक 30 अगस्त, 2011; संकल्प सं0- 6772 दिनांक 12 नवम्बर, 2011 एवं संकल्प सं0-13792, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012

3. श्रीमती शीला किस्कू रपाज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-213, दिनांक 29 जून, 2012

संख्या-5/आरोप-1-444/2014 का०-2565--श्री नागेन्द्र पासवान, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 785/03, गृह जिला- हजारीबाग), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, किस्को, लोहरदगा के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-100(I)/स्था., दिनांक 02 मई, 2011 के द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप प्रतिवेदित है। इनके विरूद्ध

अपने पदस्थापन काल में किस्को प्रखण्ड में मनरेगा योजना अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में जैट्रोफा रोपण के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है।

उक्त आरोपों पर श्री पासवान से विभागीय पत्रांक-4126, दिनांक 22 जुलाई, 2011 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई एवं पत्रांक-5224, दिनांक 30 अगस्त, 2011 द्वारा स्मारित भी किया गया। परन्तु श्री पासवान द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

इसलिए विभागीय संकल्प सं0- 6772, दिनांक 12.नवम्बर, 2011 के द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्रीमती शीला किस्कू रपाज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्रीमती रपाज द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच-प्रतिवेदन पत्रांक-213, दिनांक 29.06.2012 द्वारा समर्पित किया गया, जिसमें श्री पासवान के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गये। जाँच-प्रतिवेदन के अनुसार श्री पासवान द्वारा सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(i)(ii) तथा (iii) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

श्री पासवान के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोप निम्नवत् है:-

(i) मौसम अनुकूलता के अनुरूप जैट्रोफा खेती की योजना का क्रियान्वयन 30 जुलाई, 2007 से पूर्व करा लिया जाना था, परन्तु कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने के कारण योजना असफल हुई, जिसके लिए ये दोषी है।

(ii) निगरानी समिति के सदस्यों के सत्यापन के बिना इनके द्वारा मनरेगा अन्तर्गत जैट्रोफा की खेती के लिए संबंधित संस्था को अग्रिम राशि का भुगतान किया गया।

(iii) इनके द्वारा जैट्रोफा की खेती का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण योजना असफल हुई ।

(iv) योजना के प्रारम्भ तथा समापन के बीच विभिन्न स्तरों के कार्य का फोटोग्राफ संधारित करना था जो नहीं किया गया। योजना की मापी एवं मूल्यांकन किये बिना ही भुगतान किया गया।

(v) बिना मापी एवं मूल्यांकन के निम्न योजनाओं में अग्रिम दिया गया-

(क) नारी में जैट्रोफा वृक्षारोपण योजना- 3,47,654/-

(ख) सरना नारी नवाडीह जैट्रोफा वृक्षारोपण योजना- 6,35,384/-

(ग) होन्दगा में जैट्रोफा वृक्षारोपण योजना- 3,36,960/-

(vi) एकरारनामा के अनुसार निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत योजना पूर्ण नहीं होने पर राशि की कटौती का प्रावधान था, परन्तु इसका अनुपालन श्री पासवान द्वारा स्वयंसेवी संस्था, हेहल, राँची मामले में नहीं किया गया।

श्री पासवान के विरूद्ध दण्ड के अधिरोपण हेतु संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक- 9076 दिनांक 04 अगस्त, 2012 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक- 10882 दिनांक 21 सितम्बर, 2012 द्वारा इन्हें स्मारित भी किया गया।

श्री पासवान द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्र दिनांक 09 अक्टूबर, 2012 द्वारा समर्पित किया गया। इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया।

श्री पासवान के विरूद्ध प्राप्त आरोप, विभागीय कार्यवाही के क्रम में इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, संचालन पदाधिकारी के अभिमत से सहमत होते हुए श्री पासवान के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-13792, दिनांक-17 दिसम्बर, 2012 द्वारा इन पर चार वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने एवं निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री पासवान के पत्र, दिनांक-17 दिसम्बर, 2015 द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। असैनिक सेवाएँ(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-64(3) के प्रावधान के अनुसार इनका अपील अभ्यावेदन कालबाधित है। इनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विशेष परिस्थिति में इनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में हुए विलंब को क्षांत करते हुए अपील में दिये गये तथ्यों की समीक्षा करने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया।

तत्पश्चात् इनके अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि प्रश्नगत योजना में श्री पासवान, तदेन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, किस्को, लोहरदगा द्वारा सरकारी राशि का गबन नहीं किया गया है। केवल योजना के समुचित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने की प्रक्रियात्मक चूक हुई है। फिर भी योजना के असफल होने के लिए केवल इन्हें ही जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। जेट्रोफा पौधारोपण योजना की सफलता का सामूहिक दायित्व गैर सरकारी संस्था, लाभुक समिति, वन पदाधिकारी एवं जिला के वरीय पदाधिकारी की थी।

समीक्षोपरांत, इनके अपील पर विचार करते हुए प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0-13792, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 द्वारा इन पर अधिरोपित दण्ड के स्थान पर समानुपातिक दण्ड के रूप में दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक तथा निन्दन का दण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 468—50 ।